

सेवा में,

श्रीमान् अंचलाधिकारी  
कोडरमा अंचल ।

विषय :- भूमि निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रतिवेदन देने के सबंध में ।

K. Chouda  
महाशय,  
06/11/22

सविनय नम्र निवेदन है कि मैं DHIRAJ KUMAR

ग्राम RAJ PURA NAJANNA BASTI पो. JHUMNEI TELIYA थाना Jhurneitaliya

जिला KODERMA का निवासी हूँ मुझे निम्न वर्णित

भूमि का विक्री करना है :-

1. मौजा RAJ PURA

2. थाना Jhurneitaliya

3. थाना नं० 248

4. खाता नं० 03

5. प्लॉट नं० 79

6. रकबा 1.50 DISMIL

7. भूमि का किस्म Raity

8. अधतन रसिद नं०

9. दा० खारिज बाद संख्या 2129/2020-2021

अतः श्रीमान् से आग्रह है कि उक्त वर्णित भूमि के निबंधन (रजिस्ट्री) हेतु सत्यापन प्रमाण

पत्र देने की कृपा करें इसके लिए मैं श्रीमान का सदा अभारी रहूँगा ।

हस्ताक्षर  
214  
10/11/22

DHIRAJ KUMAR  
विश्वासभाजन

790380114

# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...377/2022

आवेदक धीरज कुमार पिता श्री राजकुमार राम, साकिन-राजपुरा, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
राजपुरा	248	03	79	1.50 डी०	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...13...../.....12...../2022 को प्रस्तुत करें।

अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-राजपुरा, थाना नं०-248, खाता सं०-03, प्लॉट सं०-79, रकवा-1.50 डी० भूमि धीरज कुमार पिता श्री राजकुमार राम के नाम से पंजी-II के पृष्ठ संख्या-38 भाग संख्या-06 पर ऑनलाईन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-2129/2020-21 दर्ज है। उक्त भूमि आवेदक को केवाला संख्या-2418 दिनांक 24.09.2020 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2022-23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या-75 दिनांक 09.09.2022 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा-राजपुरा, थाना नं०-248, खाता सं०-03, प्लॉट सं०-79, रकवा-1.50 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-राजपुरा, थाना नं०-248, खाता सं०-03, प्लॉट सं०-79, रकवा-1.50 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

अंचल अधिकारी,  
कोडरमा।

13.12.2022

13.12.2022